एम. 11011/68/2015-पीईएसए

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश भवन,
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक: 4 मार्च, 2016

विषय: 4-5 फरवरी, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित " पेसा अधिनियम का कार्यान्वयन: मुद्दे और भावी कदम" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी को 4-5 फरवरी, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित " पेसा अधिनियम का कार्यान्वयन: मुद्दे और भावी कदम" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का कार्यवृत्त को अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है। भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची **अनुबंध** में दी गयी है।

संलग्नक: यथोपरि

(एन. पी. टोप्पो)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष संख्या : 011-23356124

प्रतिलिपि अग्रेषित: भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को (सूची के अनुसार)।

4-5 फरवरी, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली के हॉल संख्या 4 में भारत सरकार के माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता मंत्री द्वारा शुभारंभ किए गए "पेसा अधिनियम का कार्यान्वयन: मुद्दे और भावी कदम" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का कार्यवाही सारांश

1. उद्घाटन सत्र

1.1 स्वागत भाषण

पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव, श्री ए. के. गोयल ने माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, माननीय राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों के माननीय मंत्री गण, सचिव (पीआर) और कार्यशाला में भाग लेने वालों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में दो प्रकार के स्थानीय स्वशासन प्रणालियों का उल्लेख किया गया है: राज्य जहां भाग नौ अथवा पंचायत के सामान्य प्रावधान लागू होते हैं और राज्य/क्षेत्र जो इससे मुक्त हैं। मुक्त छठी अनुसूची और पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की बहुलता है जहां उनके अपने रीति रिवाज एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, विवाद निवारण और शासन के परंपरागत तरीके हैं। पंचायतों के प्रावधानों को पेसा के अधिनियमन के माध्यम से कतिपय अपवादों और संशोधनों के साथ दस राज्यों में पांचवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों (एफएसए) तक विस्तार किया गया है। छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए ऐसा कोई अधिनियम पारित नहीं किया गया है। पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा को शासन के केन्द्र में रखा गया है। इस अधिनियम में प्रत्येक गांव के लिए ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है जो उपग्राम अथवा निवास स्थल अथवा निवासियों के समूह का निवास स्थल हो सकता है जिन्हें राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। श्री गोयल ने आगे कहा कि राज्यों को पेसा के अधिनियमन के एक वर्ष के भीतर पेसा के उपबंधों के अनुपालन के लिए अपने पंचयाती राज अधिनियमों और विषय संबंधी कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता थी । तथापि, इस अधिनियम के 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस संबंध में केवल मिली जुली प्रगति ही हुई है और अब तक केवल पांच राज्यों ने ही अपने पेसा नियम

तैयार किए हैं। उन्होंने इस पर बल दिया कि यदि मूलभूत विधायी और प्रशासनिक ढांचे को तैयार नहीं किया गया तथा ग्राम सभा को शक्ति प्रदान नहीं की गयी तो सही मायनों में पेसा के प्रावधानों को कार्यान्वित करना संभव नहीं है। श्री गोयल ने भागीदारों को कार्यशाला के कार्यक्रम अभिकल्प से अवगत कराया। अंत में, उन्होंने आशा व्यक्त की कि कार्यशाला की सिफारिशें ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को शक्ति प्रदान करने में एक रास्ता प्रदान करेगी ताकि निचले तबके की ये संस्थाएं प्रभावी रूप से कार्य कर सकें।

1.2 केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री का विशेष भाषण

विशेष भाषण देते हुए **केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री निहाल चंद** ने इस तथ्य को उद्दत किया कि राष्ट्रीय स्तर पर पेसा के उपबंधों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए समाधान ढूंढ़ने हेतु इस प्रकार के कार्यशाला का आयोजन पहली बार किया गया है। उन्होंने कहा कि पेसा ग्राम स्वाराज का सही प्रतिबिम्ब है और इसका कार्यान्वयन निचले स्तर के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। छोटे निवास स्थल/ उप ग्राम स्तरीय ग्राम सभा सक्रिय जनजातीय भागीदारी को स्थानीय विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने में समर्थ बनाता है जो नियमित ग्राम सभा बैठकों में संभव नहीं है। उन्होंने राज्य पेसा नियमों के निरूपण और पंचायत व अन्य संगत विषयों में संशोधन; पदाधिकारियों, चुने गए प्रतिनिधियों और ग्राम सभा के सदस्यों में क्षमता वर्धन की आवश्यकता को भी उद्दत किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन से जनजातीय लोगों को बहुत अधिक लाभ पहुंच सकता है। भारत सरकार चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अधिनिर्णय के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्रत्यक्ष रूप से अभूतपूर्व अनुदान राशि प्रदान कर रही है। इस संसाधन के उचित उपयोग से पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के विकास में भारी बदलाव आ सकता है। पेसा के कार्यान्वयन से जनजातीय लोगों की आर्थिक दशाओं में सुधार होगा और समृद्ध जनजातीय संस्कृति धरोहर संरक्षित रह पाएगा। इससे वामपंथी चरमपंथी से प्रभावित जिलों में इसके नियंत्रण में सहायता प्राप्त होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि गैर कानूनी कर्ज देने की व्यवस्था को विनियमित करने से लोगों द्वारा स्वयं ही शराब की खपत और बिक्री एवं ग्रामीण बाजार का नियंत्रण आदि से जनजातीय लोगों के शोषण को सफलतापूर्वक रोका जा सकता है। पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं जैसी संस्थाओं को सुदृढ़ करने और स्वशासन के आदर्श उदाहरण सृजित करने के लिए

केन्द्र और राज्यों को मिलकर कार्य करना पड़ेगा। अंत में उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला में सभी दस राज्यों में पेसा के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का पता लगाया जाएगा, चुनौतियों की पहचान की जाएगी और पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्य में गति लाने के लिए इन चुनौतियों को दूर करने के लिए कार्य योजना का सुझाव दिया जाएगा तथा माननीय प्रधानमंत्री के 'सबका साथ सबका विकास' विजन को सच बनाने का कार्य किया जाएगा।

1.3 माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री का उद्घाटन भाषण

माननीय केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री, चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने अपने उद्घाटन भाषण में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका आदि देशों में औपनिवेशिक शासनों का उदाहरण दिया जहां साम्राज्यवादी ताकतों ने जनजातीय लोगों और उनकी संस्कृति को समाप्त कर दिया था किंतु भारत के जनजातीय लोगों की अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को बनाए रखने की बहु संस्कृति व लचीलेपन की क्षमता के कारण उनके साथ ऐसा नहीं हुआ । उन्होंने पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय क्षेत्रों के लिए वातावरण और अवसरों को उपयुक्त बनाने के महत्व को भी उद्धृत किया। माननीय मंत्री जी ने इस पर बल दिया कि पेसा के उपबंधों का तत्काल कार्यान्वयन किया जाए और कोई भी व्यक्ति जनजातीय लोगों की जीवन दशा में सुधार लाने के लिए अगले साठ वर्षों का इंतजार नहीं कर सकता है। उन्होंने पंचायती राज और ग्रामीण विकास से जुड़े तीन प्रस्तावित संविधान संशोधनों और बदलावों के बारे में उल्लेख किया, (1) दो लगातार कार्यकाल के लिए महिलाओं हेतु सीटों और पदों का आरक्षण; (2) भारत भर में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीट एवं पदों का आरक्षण; और (3) युवा विधवाओं के लाभ के लिए आयु को 40 से 18 (कानूनी विवाह आयु) तक कम किए जाने के लिए विधवा पेंशन की पात्रता हेतु आयु। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे कार्यशालाओं के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें:

- ग्राम सभाओं को कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज, समुदाय संगठनों और मीडिया को शामिल करते हुए अपने अधिकारों और भूमिकाओं के बारे में कैसे और अधिक जागरूक बनाया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पेसा के उपबंधों

के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने में पीएम ग्रामीण विकास फेलोज़ को शामिल किया जाए।

- पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी एवं कार्यान्वयन।
- पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में विभिन्न विभागों (वन, जनजातीय और ग्रामीण आदि) से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं का समकालन, अभिसरण और सामनजस्य।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि कार्यशाला के अंत में राज्यों और भारत सरकार द्वारा पांचवीं अनुसूची में पेसा के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए प्रारूप कार्य योजना तैयार की जाएगी।

1.4 श्री आई. एस. चहल (एम ओ पी आर) संयुक्त सचिव द्वारा समापन भाषण के साथ उद्घाटन सत्र की समाप्ति हुई। उन्होंने माननीय मंत्री (एमओआरडी, पीआर, डीडब्लू एंड एस), माननीय राज्य मंत्री (पीआर), राज्य सरकारों के माननीय मंत्रीगण और भाग लेने वाले विशिष्ट लोगों व मीडिया को धन्यवाद दिया।

2. माननीय राज्य मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

उद्घाटन सत्र के पश्चात छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के माननीय मंत्रियों ने अपने वक्तव्य दिए।

2.1 छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मंत्री (पंचायत और ग्रामीण विकास) श्री अजय चंद्राकर ने पेसा नियमों को तैयार करने में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया। उन्होंने सूचित किया कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त वन, खान, खनिज और जनजातीय विभाग सहित विभिन्न विभाग किसी न किसी रूप में अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्य करते हैं। राज्य में पेसा के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल विभाग को नामोद्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने पेसा के कार्यान्वयन की निगरानी और इसके लिए बजट आबंटन की निगरानी करने के लिए एक पृथक तंत्र अथवा प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता के बारे में बताया। माननीय मंत्री ने इस तथ्य को उद्धृत किया कि इन क्षेत्रों में अनुसूचित जन जाती के लोगों में अपने अधिकारों और हकों के संबंध में जागरूकता की कमी है। राज्य ने आरजीपीएसए निधियों के उपयोग के माध्यम से

इस दिशा में कतिपय उपाय शुरू किए हैं। उन्होंने पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थायी समिति को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में बताया। माननीय मंत्री ने विशेषकर वन, जनजाति, खान और खनिज आदि जो इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं, जैसे विभागों के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं के राज्य स्तरीय कार्यकलाप मैपिंग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों को जारी करने की आवश्यकता के बारे में भी बताया।

2.2 गुजरात सरकार के माननीय पंचायत, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास मंत्री, श्री जयंतीभाई रामजीभाई कवाडिया ने शिष्टमंडलों को सूचित किया कि पिछले 10 वर्षों में गुजरात राज्य सरकार ने तत्कालीन मुख्य मंत्री के नेतृत्व में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हजारों परिवारों को भूमि प्रदान की है । अब महिलाओं हेतु आरक्षण को बढ़ाकर 33 से 50 प्रतिशत कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने लोगों में अपने अधिकारों, उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता लाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने, मोबिलाइजरों की नियुक्ति करने और कार्यक्रमों को आयोजित करने सहित कई उपाय शुरू किए हैं। उन्होंने पेसा के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर एक नोडल विभाग को नामोद्दिष्ट करने की आवश्यकता को भी उद्धृत किया। उन्होंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि वे पेसा के कार्यान्वयन के लिए पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में सभी जिलों, प्रखंडों और ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त कर्मचारी और निधि प्रदान करें।

2.3 आंध्र प्रदेश सरकार के माननीय सामाजिक कल्याण और अधिकारिता एवं जनजातीय कल्याण मंत्री श्री रावेला किशोर बाबू ने उपस्थित समूह को पेसा को अक्षरश: लागू कर जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य के प्रयासों से अवगत कराया। राज्य ने यह सुनिश्चित किया कि गैर जनजातीय लोग जनजातीय लोगों की भूमि को न हड़पे। आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को पेसा अधिनियम का अनुकूल बनाया गया तथा राज्य ने वर्ष 2011 में पेसा नियमों को जारी किया है। पेसा के अधिदेश के अनुसार ग्राम सभा का गठन किया गया है और ग्राम सभाओं को शक्ति प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं साथ ही प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन का कार्य किया जा रहा है। राज्य ने 15 विभागों के नियमों को पेसा के अनुकूल बनाने के लिए भी संशोधित किए हैं। संवेदनशील क्रियाकलापों, पीएमयू की

स्थापना, युवा अधिकारियों की तैनाती ने इन प्रयासों में ऊर्जा भरने का कार्य किया है। माननीय मंत्री ने गर्व पूर्वक यह बताया कि आन्ध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने अ0जा0/ अ0ज0जा0 उप योजना अधिनियम को लागू किया है जिसके माध्यम से जनजातीय लोगों के विकास के कार्य में तेजी लायी जा रही है। आम बजट के अतिरिक्त राज्य अ0जा0/ अ0ज0जा0 उप योजना अधिनियम के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत अतिरिक्त 5 प्रतिशत निधि प्रदान कर रहा है। राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में कतिपय नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण को भी सुनिश्चित किया है। मननीय मंत्री यह महसूस करते हैं कि अ0ज0जा0 कल्याण विभाग को राज्य में नोडल विभाग बनाया जाना चाहिए।

2.4 महाराष्ट्र सरकार के माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री दीपक वसंत केसरकर ने स्थानीय शासन के लिए इन क्षेत्रों में लोगों को स्वायत्ता देने जैसे महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न प्रयासों के बारे में बताया। पेसा और वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य की जनजाति कल्याण नीति में सबसे प्रमुख रहा है। पेसा के उपबंधों के अनुरूप बनाए जाने के लिए राज्यों में कई कानूनों को संशोधित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य पेसा नियम इस अधिनियम के अनुसार अक्षरश: प्रगतिशील प्रकृति के हैं। बांस, लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के अधिकार इस समुदाय को प्रदान किए गए हैं। बांसों के लिए अधिकार दिया जाना और ग्राम सभा को टीएसपी निधि का 5 प्रतिशत प्रदान करना राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पहल हैं। उन्होंने इसकी आवश्यकता बतायी कि पंचायतों को और अधिक कोष, कार्य और कर्मी प्रदान किया जाए। पेसा की धारा 4 में यह स्पष्ट सुझाव दिया गया है कि ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों को उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर माननीय राज्यपाल से मार्गदर्शन मांगा गया है। तथापि, इस संबंध में भारत सरकार के साथ कानूनी राय से अन्य विभागों के पास इन मुद्दों के हस्तांतरण के राज्य सरकार के प्रयासों को और मजबूती प्रदान होगी। पेसा अधिनियम, जिसे कुछ समय पूर्व परिचालित किया गया, में प्रारूप संशोधनों की स्थिति पर मंत्री ने मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने पेसा पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम और इसके लिए बजट प्रावधान का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कुडुमश्री से सीख से हमें महिलाओं की महत्वपूर्ण

भूमिका, जो पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में स्थानीय स्व शासन में अदा कर सकती हैं, को महसूस करने में सहायता मिलेगी।

3. नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा संबोधन

3.1 नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के रूप में **बंधुआ मुक्ति मोर्चा के स्वामी अग्निवेश** ने कार्यशाला में बोलते हुए कहा कि भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन सभी के लिए है। उन्होंने गर्व से यह कहा कि भारत में जनजातीय लोग उस प्रकार समाप्त नहीं हुए हैं जिस प्रकार विश्व के अन्य भागों विशेषकर अमेरिका में समाप्त किए गए हैं। उन्होंने दुख पूर्वक यह कहा कि समाथा निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए असफल प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायलय में एक याचिका विचाराधीन है। उन्होंने यह उद्धृत किया कि भारत में बंधुआ मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है और इनमें से अधिकांश जनजातीय लोग ही हैं। उन्होंने आगे पंचायती राज मंत्रालय के सचिव से अनुरोध किया कि वे इस पहल के लिए गति और दिशानिर्देश प्रदान करे जैसा कि केरल के कुडुमश्री में किया गया है और इसे आगे ले जाने में पंचायती राज मंत्रालय को पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिया। उन्होंने पुरजोर विश्वास व्यक्त किया कि यदि पेसा को कार्यान्वित किया जाता है तो वाम चरमपंथी समस्या दूर की जा सकती है। उन्होंने प्रतिभागियों को सूचित किया कि उन्होंने भारत के महामहिम राष्ट्रपति को लिखा है कि राज्यपाल, जिन्हें पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में जनजातीय विकास के लिए असाधारण अधिकार प्रदान किए गए हैं, वे अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड में पेसा के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक पत्र भी परिचालित किया। इस नोट में यह दिया हुआ है कि उच्चतर स्तर के पंचायतों को निम्न स्तर के पंचायतों के अधिकार धारण नहीं करना चाहिए; कि छठी अनुसूची क्षेत्रों के पैटर्न को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए भी अपनाया जाना चाहिए; कि राज्यों को अनुसूची क्षेत्रों में भी सभी कानूनों और पेसा नियमों को अनुकूल बनाया जाना चाहिए था; कि नशा नियंत्रण और एमएफपी के स्वामित्व का अधिकार ग्राम सभा के बदले जिला परिषद को दिया गया है, कि भूमि परकीयकरण, साहूकारी पर रोक, जनजातीय उप योजना आदि का राज्य के पंचायती राज अधिनयम में उल्लेख नहीं किया गया है। स्वामी अग्निवेश ने गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने और पेसा के कार्यान्वयन की चुनौती स्वीकार करने पर बल दिया।

3.2 आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के श्री विक्टर माल्टो, जो नागरिक समाज के एक अन्य प्रतिनिधि थे, ने कहा कि पेसा में राज्यों के सभी कानूनों के लिए प्रावधान हैं जिन्हें एक वर्ष के भीतर पेसा के अनुरूप संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे इस पर बल दिया कि पंचायत की छठी अनुसूची पैटर्न, जिसका पेसा के 4(ण) में उल्लेख किया गया है, का पालन किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसी कारण से पेसा को संसद में पारित नहीं किया गया है। ग्राम सभा के पास सात अधिकार हैं जो अपवाद स्वरूप हैं और संविधान में यथा अधिदेशित संशोधन किया गया है और इनका प्रयोग किया जाना चाहिए।

4. राज्य प्रस्तुतिकरण

4.1 शुरूआती भाषण: सचिव (पीआर) ने इस तथ्य को उद्धृत करते हुए चर्चा शुरू की कि पेसा के उपबंध का कार्यान्वयन अपेक्षित तरीके से नहीं किया गया है। तथापि, उन्होंने राज्य के सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे स्थानीय भागीदारी योजना के माध्यम से और पेसा के उपबंधों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए एफएफसी अनुदान, मनरेगा और अन्य उपलब्ध निधियों के अंतर्गत भारी राजस्व अंतरण के अभिसरण और उपयोग के लिए इस अवसर का इस्तेमाल करें, यह पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में विकास कार्य को त्वरित करने और वाम पंथ उग्रवाद को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। उन्होंने पेसा के उपबंधों के कार्यान्वयन में गति देने के लिए राज्यों द्वारा निम्नलिखित कार्य बिंदुओं का सुझाव दिया और इन मुद्दों पर अपने प्रस्तुतिकरण पर फोकस करने का अनुरोध किया:

- पेसा के अनुरूप राज्य में पेसा नियमों के निरूपण में प्रगति।
- जिला और प्रखंड स्तर व ग्राम सभा मोबिलाइजरों के साथ समन्वयकों को शामिल करने की स्थिति।
- पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में 1-2 बीकोन पंचायतों की पहचान एवं विकास।
- मूख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा समिति का गठन।
- विकास सूचकांक अध्ययन के लिए आंकड़े प्रस्तुत करना। इस वर्ष एक पेसा उप सूचकांक होगा और इस उप सूचकांक पर पेसा राज्यों का कार्यनिष्पादन भी प्रकाशित किया जाएगा। अत: राज्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे तत्काल ऑनलाइन संगत सूचना उपलब्ध करने को सुनिश्चित करें।

तत्पश्चात राज्य प्रतिनिधियों से अपने प्रस्तुतिकरण को देने का अनुरोध किया गया।

4.2 महाराष्ट्र

प्रधान सचिव (आरडी एंड पीआर), महाराष्ट्र सरकार, श्री वी. गिरिराज ने अपने प्रस्तुतिकरण में उल्लेख किया कि किसी ग्राम को परिभाषित करने के लिए महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में एक विशेष धारा को शामिल किया गया है जो प्रत्येक उप ग्राम/ निवास स्थल के लिए सांविधिक ग्राम सभा का प्रावधान करता है। महाराष्ट्र साहूकारी विनियमन अधिनियम, महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम, महाराष्ट्र पशुधन संवर्धन अधिनियम और महाराष्ट्र कृषि कृमि और रोग अधिनियम में बदलाव किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत को शामिल किया जाए। भारतीय वन अधिनियम में बदलाव लाने के लिए राज्य ने बहुत सारे कार्य किए हैं जिसके तहत लघु वन उत्पादों विशेषकर बांस और तेंदु के पत्ते के संबंध में परिभाषित किया गया है। पारगमन पास (ट्रांज़िट) से जुड़े मुद्दों और अन्य प्रकार के निर्णय लेने से जुड़े मुद्दों के संबंध में पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में महाराष्ट्र ने ग्राम पंचायतों को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता में भी संशोधन किया गया है कि ग्राम पंचायत के अनुमोदन के बिना लघु खनिजों की कोई भी नीलामी नहीं की जाए। महाराष्ट्र ने पेसा के अनुरूप बाजार और मेला अधिनियम और जल व प्रदूषण अधिनियम में बदलाव किए हैं। पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के लिए संयुक्त निधि के रूप में पांच प्रतिशत टीएसपी निधियों को निर्धारित किया गया है। पेसा नियमों को अधिसूचित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप मत्स्यन अधिकार सौंपे गए हैं एवं प्रत्येक उप ग्राम में एक पृथक ग्रामकोष की स्थापना की गयी है। उन्होंने इस तथ्य को साझा किया कि इस कानून में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप 25 ग्राम पंचायत संबंधित ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के भीतर बांस की बिक्री कर रहे हैं। भविष्य में 200 से अधिक ग्राम पंचायत ऐसा करेंगे और इसके परिणामस्वरूप उनकी आय में कई गुणा वृद्धि होगी जो राशि कुछ रूपये के बदले करोड़ों रूपए की होगी।

सचिव (जनजातीय विकास विभाग) महाराष्ट्र सरकार, श्री राजगोपाल देवड़ा ने अपने प्रस्तुतिकरण में उल्लेख किया कि स्थानीय मुद्दों (अवसंरचना, एफआरए, पेसा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा, वन और वन्य जीव संरक्षण) पर सुविचारित राय लेने के लिए पांच प्रतिशत टीएसपी निधि (258.5 करोड़ रूपए) का प्रावधान सीधे जनजातीय समुदायों के लिए किया गया है। ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर इस निधि को सचिवालय से जीपी (ग्राम सभा कोष) में सीधे अंतरित किया जाता है। शेष 95 प्रतिशत टीएसपी निधि को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय विकास के लिए खर्च किया जाता है। 3 लाख रूपए तक की परियोजनाओं के लिए कोई तकनीकी संस्वीकृति आवश्यक नहीं है और जीएस अनुमानों और परियोजना कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर निर्णय ले सकता है। कार्यों के चयन के लिए दिशानिर्देशों को जारी कर दिया गया है। राज्य ने निधि के उपयोग (चार क्षेत्र, प्रत्येक के लिए 25 प्रतिशत) हेतु क्षेत्र आबंटन किया है। सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है और वेब आधारित कार्य निगरानी मोड्यूल को भी विभिन्न कार्यों की प्रगति का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। । यशादा से सहायता प्राप्त कर क्षमता वर्धन का कार्य किया गया है। प्रशिक्षण मोड्यूल को विकसित किया गया है। 220 प्रमुख प्रशिक्षकों की पहचान की गयी है (आरजीपीएसए और एनजीओ प्रतिनिधियों के अंतर्गत प्रशिक्षक) । 60 प्रखंडों में 300 समूहों (एक समूह- 10 ग्राम) में 15,000 पणधारकों (सरपंच/उप सरपंच-1, ग्राम सभा कोष समिति के सदस्य-3 और वन अधिकार समिति के सदस्य-1) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण की प्रतिक्रिया में सचिव (पीआर) ने निम्नलिखित टिप्पणी की: (एक) टीएसपी, एफएफसी, मनरेगा आदि के लिए विभिन्न योजनाओं के बदले राज्य को सभी उपलब्ध संसाधनों के अभिसरण में एफएसए में स्थानीय योजनाओं की तैयारी के लिए प्रयास करना चाहिए; (दो) चूंकि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जैसे कुछ क्षेत्र एलडब्लूई गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित हैं इसलिए राज्य को एनआईआरडी और पीआर से सहायता लेकर गढ़चिरौली में पेसा का कार्यान्वयन करने पर प्रभाव आकलन अध्ययन शुरू कर सकता है।

4.3 झारखंड

विशेष सचिव (पंचायती राज), झारखंड सरकार, श्री शिवेन्द्र सिंह ने अपने प्रस्तुतिकरण में उल्लेख किया कि (एक) हाल ही में राज्य में द्वितीय पंचायत चुनाव

सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। राज्य खान विभाग ने पेसा और गैर -पेसा क्षेत्रों के लिए पंचायतों हेतु 166 करोड़ रूपए की राशि (खनन से राजस्व का 80 प्रतिशत) हस्तांतरित किया है। पेसा क्षेत्रों के लिए राशि 78 करोड़ रूपए है; (दो) राज्य ने ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का अभिसरण करते हुए योजना बनाओ अभियान शुरू की है। ग्राम सभा इन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का सुझाव और अनुमोदन देगा; (तीन) संबंधित दस में से पांच विभागों ने अब तक पेसा के अनुरूप अपने नियमों को संशोधित कर लिया है। ये विभाग हैं- उत्पाद, वन और पर्यावरण, ग्रामीण विकास व पंचायती राज एवं खनिज तथा कृषि। ग्राम सभा को ग्रामीण बाजार को नियंत्रित करने से जुड़े अधिकार प्रदान किए गये हैं। लघु खनिज नियम, 2014 को भी संशोधित किया गया है (अर्थात् नियम11 और लघु खनिज पदार्थों की खुदाई के पट्टे के पूर्व ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया गया है); (चार) क्षमता वर्धन के संबंध में 80 प्रमुख प्रशिक्षकों की पहचान की गयी है और वे विभिन्न जिलों में जाएंगे और पंचायती राज संस्थाओं के नए चुने गए सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। 526 राज्य संसाधन प्रशिक्षक प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करेंगे और ग्राम सभा चालित जीपीडीपी की तैयारी व योजनाओं के कार्यान्वयन को सुकर बनाएंगे। यूएनडीपी और यूनिसेफ की सहायता से पीआरआई और ग्राम सभाओं के लिए सात प्रशिक्षण मोड्यूल भी विकसित किए गए हैं; (पांच) झारखंड पंचायती राज अधिनियम को पेसा के अनुरूप संशोधित किया गया है; और (छह) बीकोन पंचायत की पहचान और विकसित करते हुए पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों को महत्व प्रदान किया जाएगा।

श्री विक्टर माल्टो ने पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में नगरपालिकाओं से जुड़े भाग 9 क की गैर प्रयोज्यता और एफएसए में ग्राम सभा के लिए वास्तविक अधिकार दिए जाने में प्रगति में कमी के मुद्दे को उठाया। छठी अनुसूची की तर्ज पर एफएसए में स्वायत्त जिला परिषदों के गठन के मुद्दे भी उनके द्वारा उठाए गए।

4.4 राजस्थान

आयुक्त (जनजातीय कार्य), राजस्थान सरकार, श्री भवानी सिंह देवड़ा ने राज्य में पेसा के कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करते हुए बताया कि (एक) राजस्थान सरकार ने वर्ष 2011 में राज्य पेसा नियमों को तैयार कर अधिसूचित

किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति राज्य के कानूनों में संशोधन से जुड़े मामले देखती है। अब तक दो संशोधन किए गए हैं और चार अन्य संशोधनों के लिए कार्य प्रगति पर है। (दो) ग्राम सभाओं को सक्रिय करने के लिए वर्ष 2012 में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और राज्य इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जारी रखने के प्रति कटिबद्ध है; (तीन) राजस्थान में 20 प्रतिशत और अधिक ग्राम पंचायतों और 50 प्रतिशत और पंचायत समितियों को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए भारत सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा है; (चार) एफएसए में शासन को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2014 में अधीनस्थ सेवा नियमों को लागू किया गया जिसके अंतर्गत ग्रेड -3 में अनुसूचित जनजातियों को पहले ही भर्ती किया गया, जिन्हें अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है और एक भर्ती सेवा आयोग की भी स्थापना की गयी है; (पांच) नियमित आधार पर पंचायतों को एफएफसी और एफएफसी निधियां प्रदान की जाती हैं; (छह) एफआरए के अंतर्गत 35,000 लोगों को भूमि की हकदारनी प्रदान की गयी है; (सात) एफएसए में सभी ग्राम पंचायतों में सामान्य सेवा केन्द्रों को सक्रिय करने के साथ वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष पहल भी की है; (आठ) चूंकि एसएसए में मानव विकास सूचकांक तुलनात्मक रूप से खराब है, इसलिए जनजातीय विकास विभाग इन क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चि करने के लिए प्रयास कर रहा है।

कतिपय जिलों और हिस्सों में जनजातीय लोगों और बंधुआ मजदूरों की दुर्दशा के मुद्दे को सदन द्वारा उठाया गया और यह सुझाव दिया गया कि अलग थलग जनजातीय लोगों को भी एफएसए के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

4.5 आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (पंचायती राज) श्री के. एस. जवाहर रेड्डी ने आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए पहलों के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। उनके प्रस्तुतिकरण के मुख्य बिंदुओं में शामिल थे: (एक) पेसा के अनुरूप बनाने के लिए वर्ष 1998 में पंचायती राज अधिनियम कां संशोधित किया गया और वृहद पेसा नियमों को मार्च,2011 में जारी किया गया; (दो) संबंधित विभागों ने अपने संबंधित नियमों में संशोधन किया किंतु विषय संबंधी कानूनों को अभी तक संशोधित नहीं

किया गया है; (तीन) गिरिजन सहकारी निगम (जीसीसी) को एमएफपी तथा जनजातीय कल्याण विभाग के तहत कार्यों का व्यापक अधिकार प्राप्त हो गया। वास्तव में, पेसा के कार्यान्वयन के लिए जनजातीय कल्याण विभाग एक नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है; (चार) ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए वर्ष 2013 में एक व्यापक दिशानिर्देश जारी किया गया है और इन दिशानिर्देशों में पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्र भी शामिल है। ग्राम सभा के गठन का कार्य की निगरानी जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है; (पांच) सक्रिय एसएचजी सदस्यों से ग्राम सभा मोबाइलाइजर के रूप में कार्य लिया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है; (छह) वर्ष 2011 में जारी सरकारी आदेश के माध्यम से विभिन्न विभागों की भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया है; (सात) पेसा के कार्यान्वयन पर एक कार्यशाला का आयोजन वर्ष 2014 में किया गया।

जीसीसी के कार्यकरण के संबंध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि यद्यपि जीसीसी का एमएफपी पर एकल खरीद और विपणन अधिकार है, इसका लाभ वापस ग्राम सभा को दे दिया जाता है। विवादों के समाधान के लिए कोई भी पीड़ित व्यक्ति ग्राम सभा के पास जा सकता है। सदन द्वारा एमएफपी तक पहुंच बनाते हुए जेएफएमसी जैसी समानांतर समिति के मुद्दे भी उठाए गए । विषय संबंधी कानूनों को पेसा के अनुरूप बनाने के मुद्दे पर श्री रेड्डी ने बताया कि विभाग सभी संबंधित विभागों से इस संबंध में संपर्क की कोशिश कर रहा है और उन्होंने पंचायती राज मंत्रालय से अनुरोध किया कि वे अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए जीओ को उपलब्ध कराएं । कोलावरम बांध के विस्थापन और शराब की दुकानों को खोले जाने के मुद्दे भी सदन द्वारा उठाए गए।

4.6 छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ से प्रस्तुतिकरण के साथ दूसरे दिन का कार्यशाला शुरू हुआ। **छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्शदाता (पंचायत और ग्रामीण विकास) सुश्री एलिस लकरा** ने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 129 क से च तक में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान सन्निहित है। पेसा की धारा 4 के खंडों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम, 1993 4(ड)(दो) को छोड़कर पेसा के अनुरूप है, जो

एमएफपी के स्वामित्व के संबंध में है। इस विषय संबंधी कानूनों में संशोधन के संबंध में परामर्शदाता ने सूचित किया कि विषय संबंधी कानूनों यथा भू राजस्व संहिता, छत्तीसगढ़ उत्पाद अधिनियम में संशोधन किए गए ताकि इन्हें पेसा के अनुरूप बनाया जा सके और लघु वन उत्पाद पर पहल पर भारत सरकार के स्तर पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने तीन मुद्दों को उद्धृत किया जिनका राज्य सामना कर रहा है; (एक) साहूकारी के बदले सूक्ष्म वित्त, सरल ऋण, बैंक संबद्धता की वैकल्पिक व्यवस्था को सुकर बनाना, (दो) नशीले पदार्थों के सेवन के संबंध में निहित स्वार्थों की राजनीति (स्थानीय लोगों द्वारा स्वाधिकृत दुकानें जिसके कारण स्थानीय बनाम स्थानीय लोगों का संघर्ष होता है।); और (तीन) लघु जल निकायों पर अंतर ग्रामीण साझा संसाधन के मुद्दे (धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल) । इन विषयगत कानूनों/ पंचायती राज अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन पर कार्रवाई के संबंध में उन्होंने सूचित किया कि डीओपीआरडी ने सभी संबंधित विभागों के साथ इस प्रारूप को साझा किया है और उनके विचारों की मांग की है। पेसा नियमों की अधिसूचना के संबंध में यह बताया गया कि शुरूआती प्रारूप तैयार कर ली गयी है और यह विधिक जांच के अधीन है। राज्य ने पेसा को स्थानीय बोली /भाषा में अनुदित कराया है और हल्बी, गोंडी और सरगुजा में इसका अनुवाद किया जा रहा है। बेहतर पहुंच के लिए ब्रेल/ आडियो संस्करण में पेसा की पटकथा लिखे जाने की योजना है। आईईसी कार्यक्रम यथा हमार ग्राम सभा का भी आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने एफएसए के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं: (एक) जिला संवर्गों की सीधी भर्ती के लिए समूह ग और समूह घ में सभी रिक्त पदों के लिए शिथिल विभागीय सेवा भर्ती नियम ताकि इन पदों को संबंधित आरक्षण रोस्टर के स्थानीय निवासियों में से भरे जाएं; (दो) राज्य के एफएसए में अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक भर्ती में उत्पन्न होने वाले 20 प्रतिशत आरक्षण के लिए आदेश जारी किए गए, इसके लिए विशेषकर संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) जैसे पहाड़ी, कोरबा, बैगा, कमार, अबुमाजडिया और भुजिया एवं पांडा जनजाति पात्र अभ्यर्थियों में से भरे जा रहे हैं जिसके लिए संबंधित सेवा भर्ती नियमों के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं में छूट दी जा रही है; (तीन) विशेषकर संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की शर्तों में छूट प्रदान की गयी है; (चार) शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में पीवीटीजी के लिए कुल 20 प्रतिशत सीटों को आरक्षित रखा गया है; (पांच) वन अधिकार अधिनियम,

2006 की धारा 6(2) में संशोधन किया गया ताकि स्व प्रेरणा से समीक्षा करने के लिए अस्वीकृत आवेदनों पर विचार किया जा सके जिसके अंतर्गत स्वीकृत आवेदनों को अपील के रूप में विचार किया गया और पट्टा विलेख संवितरित किए गए हैं; (छह) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 को संशोधित किया गया- ''टीन अयस्क'' को 'टिन अयस्क, नायोबियम अयस्क और टंटालम अयस्क' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और ''अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी'' को '' सहकारी सोसाइटी जिसके अंतर्गत केवल स्थानीय जनजाति के लोग सदस्य हो'' द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है; (सात) छत्तीसगढ़ उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 16 में एक उप धारा जोड़ी गयी ताकि धार्मिक त्योहारों के मौकों पर अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा एफएसए में प्रति परिवार खपत के लिए पांच लीटर की अधिकतम मात्रा तक लांडा और हांडिया जैसे स्थानीय शराब के परिवहन की अनुमति हो। अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा शराब से जुड़े अपराध में मामले को बेल युक्त बनाने के लिए इस अधिनियम की धारा 59क में एक उपधारा जोड़ी गयी है। उन्होंने अनुरोध किया कि राज्य के एफएसए में शासन, संसाधन प्रबंधन और संघर्ष प्रबंधन से जुड़े सांस्कृतिक और परंपरागत दस्तावेजों के प्रलेखीकरण के अध्ययन के लिए एमओपीआर का समर्थन करे; छत्तीसगढ़ में जिला-वार पेसा के कार्यान्वयन के प्रभावी आकलन को सुकर बनाने के लिए आधारभूत अध्ययन; मुख्य पणधारकों को पेसा अभिमुखीकृत प्रशिक्षण (विशेषकर पेसा संबंधी आकलन के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता); अंतर विभागीय क्रास अधिगम; ग्राम सभा जागरूकता अभियान; पेसा कार्यान्वयन और अवक्रमणमें कार्यनिष्पादन के सूचकांक (पेसा कार्यनिष्पादन सूचकांक); और दीर्घावधि अनुबंध और पेसा राज्य सुविधा प्रदाताओं (फेसिलिटेटरों) का गहन अभिमुखीकरण ।

4.7 महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी श्री परिमल सिंह ने कहा कि केवल राज्यों द्वारा अनुपालन की सूचना पर्याप्त नहीं है और एमओपीआर द्वारा पेसा के कार्यान्वयन का गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण किया जाना चाहिए। एमएफपी, लघु खनिजों आदि जैसी प्रत्येक परिभाषा पर स्पष्टीकरण और एकमत होने की आवश्यकता है। उन्होंने इस अधिनियम के मूल प्रावधानों को वेबसाइट पर डालने का सुझाव दिया और लोगों की जानकारी के लिए इसे संशोधित

करने हेतु राज्य ने क्या किया है। उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र पेसा नियमों के नियम 52, जीएस इस अधिनियम से विपथित होने पर संज्ञान ले सकता है क्योंकि इस समग्र मुद्दे पर लोगों की नजर रहती है। ग्रामीण विकास विभाग को भेजी गयी प्रकाशिनी की प्रतिलिपि राजपाल के कार्यालय को भेजी जा सकती है ताकि इन मुददों पर कार्य में शीघ्रता लाने के लिए प्रयास किया जा सके। उन्होंने इस पर बल दिया कि भारत सरकार पांचवीं अनुसूची के पैरा 3 के अंतर्गत निर्देश देने के अधिकार का प्रयोग कर सकती है। श्री परिमल ने यह बताया कि महाराष्ट्र ने पेसा गावों को अधिसूचित करने का कार्य शुरू कर दिया है जिसका उपबंध इस अधिनियम में किया गया है। 40-50 गांवों को अधिसूचित किया गया है। किंतु छोटे परहाज, निवास स्थलों को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। पेसा के अंतर्गत गांवों को घोषित करते हुए जल, वन आदि जैसे संसाधनों तक पहुंच के मुद्दे को सावधानीपूर्वक निपटाए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा भावी पीढ़ियों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। दो ग्राम सभाओं के बीच के विवाद के संबंध में शुरूआत में ही दोनों गांवों के आयु में बड़े लोगों को निपटाना चाहिए। उपयुक्त पंचायत परिभाषा पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। यदि राज्य सरकार कुछ न करे तो एमओपीआर आवश्यक परामर्श जारी कर सकता है। गढ़चिरोली में माननीय राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के कारण 203 गांव स्वयं ही बांसों की नीलामी करने जा रहे हैं। भू संरेखण के मुद्दे पर श्री परिमल यह जानना चाहते थे कि क्या पेसा में भूमि संरेखण के संबंध में कोई प्रावधान है, क्या यह कानूनी है या गैर कानूनी। कतिपय राज्यों में भूमि संरेखण का कार्य सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया जाता है। इसलिए, समाता निर्णय की व्याख्या करने और एमओपीआर से परामर्श की आवश्यकता है ताकि भू संरेखण के कार्य को रोका जा सके। पेसा के समग्र सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण की रक्षा करना आवश्यक है और इसके बिना अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा का कार्यान्वयन पर आने वाले समय में प्रश्न खड़ा होने वाला है। एमओपीआर से राज्य भर में न्यूनतम प्रत्याशा के साथ दिशानिर्देशों और परामर्श जारी करने से सभी लोगों के हाथ मजबूत होंगे क्योंकि लोग यह जानना चाहते हैं कि हम क्या बदलाव कर सकते हैं। पेसा के पैरा 5(1) में यह बताया गया है कि यह अधिनियम कतिपय संशोधनों के साथ लागू होगा या नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि कानूनी व्याख्या की जा सकती है। जब कभी भी कोई नया अधिनियम बनाया जाता है तो इसे अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाए, इसे राज्यपाल के पास

भेजा जाए। इस संबंध में एमओपीआर द्वारा परामर्श भेजे जाएं। साहूकारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम औपचारिक क्षेत्र में साहूकारी को नियंत्रित करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अच्छे विचारों और प्रथाओं यथा ब्लू टूथ सहित छत्तीसगढ़ में बेहतर आईईसी के साथ पेसा पोर्टल बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने समानांतर समिति के मुद्दे को भी उठाया।

5. समापन सत्र

5.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय की टिप्पणी: जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव, श्री अशोक पई ने समापन सत्र में इसकी प्रशंसा की कि एफएसए से जुड़े अधिकांश बातों पर इस कार्यशाला में चर्चा की गयी। यह सभी को विदित है कि चुनौतियां हैं किंतु पेसा के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कार्यमूलक और प्रभावी ग्राम सभा नहीं है तो पेसा क्षेत्रों में प्रभावशाली समूह जनजातीय लोगों के सभी अधिकारों को हड़प कर जाएगा। लोगों की वास्तविक भागीदारी से ही बदलाव आएगा। निचले स्तर पर चीजें कैसे कार्य करती हैं यह महत्वपूर्ण है न कि लोग पेसा के संबंध में विभिन्न मिमांसात्मक सिद्धांतों और माडलों के बारे में बात करता है। जिस प्रकार क्षमता वर्धन का कार्य हो रहा है और विभिन्न उपबंधों को लागू किया जा रहा है, उस संबंध में राज्यों में भिन्नता है। कानून द्वारा कार्य किया जाता है किंतु निधियां अथवा पदाधिकारियों को अपेक्षित स्तर तक प्रदान नहीं किया गया है। महिला भागीदारी बहुत कमजोर हैं और यह पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। उनका विचार था कि भारत सरकार सलाह और निर्देश जारी कर सकती है किंतु अंतत: राज्यों पर हीं कार्यान्वयन की जिम्मेदारी होती है। भारत सरकार राज्य सरकारों को सहकारी संघवाद के इस युग में पेसा के कार्यान्वयन के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। व्यक्ति को सदा केवल कानून के इरादे के बदले कानून के प्रावधनों में नहीं फंस सकता और सही तरीके से इसकी व्याख्या कर सकता है। यह एक वास्तविक परीक्षा है। पेसा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार जानबूझकर किसी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहती किंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है।

एक प्रतिभागी पेसा में प्रयुक्त तीन शब्दों पर स्पष्टीकरण चाहते थे: उपयुक्त स्तर पर पंचायत; भू- संरेखण; और साहूकारी। इन क्षेत्रों में दीर्घकाल से लंबित पड़े मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों को सरकार के स्तर पर निपटाए जाने की आवश्यकता है और इसे न्यायालय के स्तर पर ले जाए जाने की आवश्यकता नहीं है। इन कानूनों की व्याख्या में कोई संदिग्धता नहीं होनी चाहिए और एमओपीआर को महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से निर्देश जारी कराना चाहिए।

5.2 संयुक्त सचिव (एमओपीआर), सुश्री शारदा मुरलीधरन ने अपने भाषण में कहा कि इन दो दिवसीय चर्चा के दौरान एक बात पर चर्चा नहीं हुई वह है जीपीडीपी। वह जानना चाहती थीं कि जीपीडीपी के संदर्भ में और इन्हें आगे ले जाने में पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं की क्या भूमिका होती है। ग्राम सभा के संसाधनों की पहचान कैसे की जा सकती है। संयुक्त ग्राम सभाओं के लिए क्या प्रावधान हैं जहां संयुक्त परियोजना का सुझाव दिया जाता है जिसके अंतर्गत एक से अधिक उप ग्राम शामिल किए जाते हैं। दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट रूप से दिया गया हो कि ग्राम सभा जीपीडीपी की तैयारी के लिए स्थिति की तैयारी कैसे करे। ग्राम सभा भागीदारी प्रबंधन की जिम्मेदारी लेगा। अन्य क्षेत्र बाजार है। बाजार सहित सेवा आपूर्ति पर एफएफसी निधि खर्च की जाएगी और बाजार को बनाए रखने की जिम्मेदारी ग्राम सभा को दी गयी है। इस क्षेत्र को एफएसए हेतु जारी किए जाने के लिए दिशानिर्देशों में लाए जाने की आवश्यकता है।

5.3 अपर सचिव (एमओपीआर), श्री ए. के. गोयल ने कहा कि इस वर्ष मंत्रालय का एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट निकालने का प्रस्ताव है जिसमें वर्ष 2015-16 की उपलब्धियों के अलावा ई शासन पहल, पंचायत वित्तपोषण और पेसा के कार्यान्वयन जैसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत किए जाने में अब तक किए गए विभिन्न क्रियाकलापों/ पहलों के इतिहास को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे एक सप्ताह के भीतर इस रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए मंत्रालय को पेसा के कार्यान्वयन के संबंध में बेहतर प्रचलन के बारे में संक्षिप्त रूप से कुछ लिख कर दें। उन्होंने यह भी सूचित किया कि राज्य पंचायती राज अधिनियमों और विषय संबंधी कानूनों में संशोधनों की वास्तविक स्थिति का भी समेकन किया जाएगा। उन्होंने अनुरोध किया कि राज्यों द्वारा किए गए संशोधनों की प्रतियों को मंत्रालय के साथ साझा करें। ''पांचवी अनुसूची (पेसा) क्षेत्रों में समुदाय

संघटन'' पर एक पुस्तक को अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में राज्यों में परिचालित कराया गया है। श्री गोयल ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे इस पुस्तक की अपने क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित संस्करण की प्रतियां उपलब्ध कराएं ताकि इन्हें एमओपीआर की वेबसाइटपर अपलोड किया जा सके। उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, विद्युत और कंप्युटर सुविधाओं जैसी सुविधाओं के संबंध में एफएसए में जीपी में अवसंरचना से जुड़ी विस्तृत सूचना का साझा करें।

6. समापन टिप्पणी और कार्य बिंदुओं पर अंतिम अभिवचन

कार्यशाला को समाप्त करते हुए **सचिव (पंचायती राज) श्री एस. एम. विजयानंद** ने कार्यशाला के दौरान उभरे कार्य बिंदुओं का सार प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार हैं:

(1) पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के लिए पृथक दिशानिर्देश तैयार किए जाएं। इस उद्देश्य हेतु एक समूह का गठन किया जा सकता है।

(2) यह समूह एफएसए में मनरेगा क्रियाकलापों की योजना के लिए दिशानिर्देशों को तैयार कर सकता है और इस मामले को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओडीआर) के साथ उठाया जा सकता है।

(3) एसएचजी के गठन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) हेतु प्राथमिकता के आधार पर पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों को उठाने के लिए एमओआरडी से विशेष अनुरोध किया जाएगा।

(4) महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पेसा के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए एनआईआरडी और पीआर से अनुरोध किया जा सकता है।

(5) एमओपीआर पेसा के उपबंधों का विश्लेषण कर सकता है और भूमि अधिग्रहण, मादक पदार्थ नियंत्रण, साहूकारी, भू संरेखन के प्रावधान आदि से जुड़े प्रावधानों की व्याख्या पर सलाह दे सकता है।

(6) एमओपीआर 4(ण) के उद्देश्य और अर्थ के संबंध में विधि मंत्रालय के साथ संपर्क कर सकता है और आवश्यक परामर्श जारी कर सकता है।

(7) एमओपीआर पेसा के कार्यान्वयन पर विस्तृत परामर्शिका जारी कर सकता है । स्व. डॉ. बी. डी. शर्मा के पुस्तक के संगत बिंदुओं को इसमें शामिल किया जा सकता है।

(8) संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के साथ परामर्श कर पांचवीं अनुसूची में जेएफएमसी जैसे समानांतर समुदायों पर एक परामर्श तैयार किया जा सकता है। पेसा के लिए चार/ पांच मंत्रालय महत्वपूर्ण हैं और इनमें से जनजातीय कार्य तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं।

(9) पेसा के कार्यान्वयन के बेहतर प्रचलन का प्रलेखीकरण किया जाए और इन्हें सभी राज्यों को परिचालित किया जाए।

(10) बंधुआ मजदूर (उन्मूलन) अधिनियम के कार्यान्वयन में पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका और दुर्दशापूर्णपलायन की समस्या को दूर करने पर एक परामर्श तैयार किया जाए।

(11) पेसा के कार्यान्वयन के लिए एसआईआरडी के साथ परामर्श कर एनआईआरडी और पीआर राज्य विशिष्ट क्षमता वर्धन योजनाएं विकसित कर सकता है । इसमें नागरिक शिक्षा और वीडियो व आडियो सामग्रियों व स्थानीय बोलियों के इस्तेमाल को शामिल किया जा सकता है। क्षमता वर्धन में एनजीओ की भूमिका को भी स्पष्ट किया जा सकता है।

(12) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) हेतु पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पंचायत क्षेत्रों के परिवर्तन के मुद्दे के समाधान के लिए एमओपीआर कार्रवाई शुरू कर परामर्श दे सकता है।

(13) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ परामर्श कर एमओपीआर यह तैयार कर सकता है कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 3 और पैरा 5.1 को पेसा के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए।

(14) एमओपीआर इस पर भी अनुवर्ती कार्रवाई करे कि माननीय राज्यपाल का कार्यालय एफएसए के संबंध में अपनी संवैधानिक भूमिका को कैसे निभाए।

(15) भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा पहचान की जा रही एमओपीआर की समग्र संचार योजना के एक भाग के रूप में पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में संचार संबंधी एक संघटक को तैयार किया जा सकता है।

(16) पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और खान मंत्रालय के बीच समन्वय करने के लिए एमओपीआर प्रयास करेगा।

(17) एमओपीआर पेसा में संशोधन लाने के कार्य में तेजी लाएगा। इसी बीच राज्य पेसा में संशोधनों की प्रतीक्षा किए बिना पेसा नियमों को तैयार करने और अधिसूचित करने के साथ आगे बढ़ सकता है।

(18) एमओपीआर संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों से कहेगा कि वे संबंधित केन्द्रीय कानूनों को पेसा के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करे।

(19) पंचायत रिपोर्ट के अगले चरण (एसओपीआर) में राज्यों द्वारा विभिन्न अधिनियमों और नियमों में संशोधन संबंधी दस्तावेज तैयार करने और पेसा के परिचालन के लिए उनके पर्याप्त प्रयास के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे।

(20) एमओपीआर, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के साथ परामर्श कर राज्यों को एक परामर्शिका जारी कर सकता है कि पेसा के कार्यान्वयन के लिए किस विभाग को नोडल विभाग बनाया जाए।

(21) क्रियाकलापों और समय-सीमा के साथ विभिन्न अधिनियमों और नियमों तथा राज्य कार्य योजना तैयार करने के लिए विचार मंथन हेतु और संशोधन संबंधी सुझाव देने के लिए (यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक बार) 'लेखनशाला' का आयोजन किया जा सकता है।

(22) एमओपीआर पेसा से जुड़े विषयों हेतु अनुसंधान सहायता प्रदान कर सकता है।

(23) राज्यों के साथ परामर्श कर पेसा के कार्यान्वयन के संबंध में संबंधित प्रत्येक राज्य में कम से कम एक 'बेकन ग्राम पंचायत' विकसित की जा सकती है।

(24) एमओपीआर विद्यमान स्थितियों को प्रस्तुत करने और बेहतर प्रथाओं के प्रचार के लिए पेसा पोर्टल विकसित कर सकता है।

(25) एमओपीआर पेसा के कार्यान्वयन में राज्य सचिवों के साथ तिमाही समीक्षा बैठक भी आयोजित कर सकता है।

(26) उपर्युक्त बिंदुओं पर कार्य करते हुए एमओपीआर राज्यों में पहले से ही लिए गए निर्णयों के परिचालन के कार्य को तत्काल कर सकता है। एमएफपी और लघु जल निकायों पर ग्राम सभा के नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा सकते हैं। विकास कार्य में लगे कार्मिकों पर नियंत्रण और निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, ग्राम सभाओं की विनियामक भूमिका हेतु सशक्त बनाने और क्षमता वर्धन करने के कार्य के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

*****

अनुबंध

प्रतिभागियों की सूची

4-5 फरवरी, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित "पेसा अधिनियम का कार्यान्वयन: मुद्दे और भावी कदम" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला

1. श्री रावेला किशोर बाबू, सामाजिक कल्याण और अधिकारिता, जनजाति कल्याण और अधिकारिता मंत्री, आन्ध्र प्रदेश।

2. श्री अजय चंद्राकर, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री, छत्तीसगढ़।

3. श्री जयंतीभाई रामजीभाई कवाडिया, पंचायत, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), गुजरात।

4. श्री दीपक केसरकर, ग्रामीण विकास विभाग विभाग और पंचायती राज राज्य मंत्री, महाराष्ट्र।

5. श्री विष्णु राम सवारा, जनजातीय विकास विभाग मंत्री, महाराष्ट्र।

6. श्री एस. एम. विजयानंद, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर)।

7. श्री ए. के. गोयल, अपर सचिव, एमओपीआर।

8. श्रीमती रश्मि शुक्ल शर्मा, अपर सचिव, एमओपीआर।

9. श्रीमती रूगमिनि परमार, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, एमओपीआर।

10. श्रीमती शारदा मुरलीधरन, संयुक्त सचिव, एमओपीआर।

11. श्री आई. एस. चहल, संयुक्त सचिव, एमओपीआर।

12. डॉ. डी. के. शर्मा, संयुक्त सचिव, एमओपीआर।

13. श्री आनंद जैन, निदेशक (एलडब्लूईओ-1), एमएचए, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

14. श्री अशोक पई, संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।

15. स्वामी अग्निवेश, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, 7, जंतर मंतर रोड़, नई दिल्ली।

16. श्री विक्टर माल्टो, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, 7, जंतर मंतर रोड़, नई दिल्ली।

17. डॉ. के. एस. जवाहर रेड्डी, प्रधान सचिव, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, आंध्र प्रदेश।

18. श्री एम. सुधाकर राव, अपर आयुक्त, पंचायती राज, आंध्र प्रदेश।

19. श्री पी. सी. मिश्रा, सचिव, पी एंड आर डी, छत्तीसगढ़।

20. श्री अशोक चौबे, संयुक्त आयुक्त, पंचायती राज, छत्तीसगढ़।

21. डॉ. दिनेश झा, सहायक आयुक्त, छत्तीसगढ़।

22. श्री बी. आई. ध्रुव, संयुक्त निदेशक, पंचायत निदेशालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

23. श्री हरीत शुक्ला, विकास आयुक्त, पंचायती राज, गुजरात।

24. सुश्री ज्योति बेन पटेल, संयुक्त सचिव, जनजातीय विकास, 8वां ब्लॉक, छठी मंजिल, सचिवालय गांधीनगर, गुजरात।

25. श्री राजगोपाल देवड़ा, सचिव, जनजातीय विकास, जनजातीय विकास विभाग।

26. श्री वी. गिरिराज, प्रधान सचिव, पंचायती रात और ग्रामीण विकास, महाराष्ट्र।

27. श्री ब्रजेश कुमार, सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास, मध्य प्रदेश।

28. श्री बी. आर. नायडु, प्रधान सचिव, जनजातीय, बल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश।

29. श्री भवानी सिंह देवड़ा, जनजातीय विकास आयुक्त, राजस्थान।

30. श्री पी. रामा राव, उप आयुक्त, पंचायती राज और ग्रामीण रोजगार, तेलंगाना सरकार, तेलंगाना।

31. श्री गौरी शंकर, जनजातीय कल्याण आयुक्त, कल्याण विभाग, प्रोजेक्ट भवन, दूसरा तल, ध्रुव रांची, झारखंड।

32. श्री शिवेंद्र सिंह, निदेशक-सह- विशेष सचिव, झारखंड।

33. श्री अजय शर्मा, निदेशक, पंचायती राज विभाग, शिमला, हिमाचल प्रदेश।

34. श्री सतीश शर्मा, उप निदेशक, पंचायती राज विभाग, शिमला, हिमाचल प्रदेश।

35. श्री परिमल सिंह, उप सचिव, राज्यपाल, महाराष्ट्र।

36. श्री देविका देशमुख, यूनिसेफ, महाराष्ट्र।

37. श्री डी. के. सिन्हा, आईजीएफसी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।

38. श्री रखुम लालरेमुआता, निदेशक, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।

39. श्रीमती पूर्णिमा टुडु, अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।

40. श्री जे. पी. सिंह, अवर सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

41. डॉ. आर. आर. प्रसाद, एनआईआरडी एंड पीआर, तेलंगाना।

42. डॉ. प्रकाश चन्द्र साहू, आईआईएमसी, जेएनयू कैंपस, अरूणा आसफ अली रोड, नई दिल्ली-67।

43. डॉ. मानुषी बट्टी, आईआईएमसी, जेएनयू कैंपस, अरूणा आसफ अली रोड, नई दिल्ली-67।

44. डॉ. अनुभूति यादव, आईआईएमसी, जेएनयू कैंपस, अरूणा आसफ अली रोड, नई दिल्ली-67।

45. सुश्री मनिषा एिलस लकरा, राज्य समन्वयक एमडीजीजीयूबी, छत्तीसगढ़।

46. श्री आर. के. रतवाया, एएलओ एवं नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़।

47. श्री सज्जाद मजीद, परामर्शदाता, झारखंड।

48. श्री बी. लिबांगिरी स्वामी, वरिष्ठ परामर्शदाता, तेलंगाना।

49. श्री जे. वेंकट राव , आंध्र प्रदेश।

50. श्री एस. एम. सुजाता, आंध्र प्रदेश।

51. श्री ए. श्रीरामालू, आंध्र प्रदेश।

52. श्री श्रीनिवापा राव, आंध्र प्रदेश।

53. श्री बी. राजा गोपाल नायडू, मध्य प्रदेश।

54. श्री बाबू लाल कटारा, राजस्थान।